जागृति

विशेषांक

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

कोविड-19 महामारी के बीच मुस्कान बिखेरता खादी और ग्रामोद्योग आयोग

वर्षः64 अंकः6 मुम्बई मई 2020

अध्यक्ष का संदेश

विनय कुमार सक्सेना
अध्यक्ष
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

विगत दो शताब्दियों में, लाखों लोग फ्लू, प्लेग और इसी तरह की महामारियों से ग्रसित होकर काल के ग्रास बन गए और वे सभी परिस्थितियां औद्योगीकरण काल से मेल खाते थीं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ। वस्त्र उद्योग और वस्त्र बाजार औद्योगिकीकरण शहरीकरण के प्रमुख उदाहरण हैं। महामारी की घटनाओं के दौरान यह एक विशाल जनसमुदाय है जहां सर्वप्रथम लॉकडाउन किया जाता है, लाखों श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और यह घनी आबादी वाले शहरी केंद्र, बेरहमी से फैल रहे वायरस (महामारी) से हार जाते हैं।

इन विपरित परिस्थितियों में हमें खादी से जुड़े मूल्यों को पुनः दोहराना होगा और प्राकृतिक रेशों से बने हाथ कते और हाथ से बुने खादी को पुनः उपयोग में लाने पर जोर देना होगा और यह भी बताना होगा कि यह कैसे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्थिरता का प्रतीक है और महामारी को रोककर स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाये रखने में सहायक है । खादी उत्पादन का यह विरासत मॉडल ग्रामीण परिवेश में स्थापित करके कारीगरों के क्लस्टरों के रूप में उपयोग में लाना है। यह शहरी और औद्योगिक संदर्भ के विपरीत महामारी के फैलने में अवरोधक भी है।

चूंकि, खादी एक हस्तनिर्मित वस्त्र है और अन्य वस्त्रों की तुलना में इसका अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं किया जाता है, इसलिए लॉकडाउन जैसी स्थिति से यह प्रभावित नहीं होती है। खादी उत्पादन के परंपरागत मॉडल में कारीगर छोटे समूह (क्लस्टर) में ग्रामीण परिवेश में कार्य करते हैं और उनकी आय में आर्थिक मंदी से समझौता नहीं किया जाता है। अतः खादी के उत्पादन पर इसका असर नहीं होता है, जबकि अन्य उद्योग या मेगा बाजार, लंबे अवधि तक लॉकडाउन से प्रभावित हो सकते हैं।

वस्त्र या अन्य उद्योगों के विपरीत खादी उत्पादन पूरे देश में समान रूप से व्याप्त है। चूंकि खादी उत्पाद स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों में इन्हें विशाल नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। अतः हमारे उत्पाद आर्थिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध हैं।

खादी, रसायन व कार्बन मुक्त है और दोनों स्वरुपों में प्राकृतिक होने के कारण इसकी उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक है, फलस्वरुप इसके उपयोग से व्यक्ति और पर्यावरण दोनों प्रभावित नहीं होते हैं। यह जानकर कि समाज का स्थायी विकास तभी संभव है जब हम प्रकृति और जीवन के प्राकृतिक तरीकों के करीब रहेंगे। खादी के उत्पादन प्रक्रिया के प्राकृतिक

तरीके में कभी भी बदलाव नहीं किया गया। चूंकि, खादी उत्पादन क्लस्टर में कारीगरों के बीच मूलतः दूरी रहती है और इसलिए ये शहरी केंद्रों के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि यह महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का काम करता है। खादी में यह प्राकृतिक रचना, इसकी प्रक्रिया, समुदाय और बाजार के संदर्भ में अंतर्निहित लचीलापन है, जोकि सतत विकास का एक अनुकरणीय उदाहरण है।

मुझे इस बात की खुशी है कि जब पूरा देश लॉकडाउन का सामना कर रहा है ऐसे समय में खादी ग्रामोद्योग एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो हमारे कारीगरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए खादी फेस मास्क की सिलाई कार्य करने में व्यस्त रहा, जिससे कारीगरों को नया जीवन मिला, जिसकी इस समय अत्याधिक आवश्यकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस लॉकडाउन के दौरान, 31 मई तक जरूरतमंद व्यक्तियों को 898762 खादी फेस मास्क, 132428 फूड पैकेट, 35382 दूध के पैकेट, 53425 अनाज/कच्ची राशन सामग्री के किट (जिसमें आटा, चावल, दाल, खाद्य तेल, मसाले आदि) तथा 52975 सैनिटाइजर की बोतलें, 19218 साबुन केक, इसके अलावा 54255 अतिरिक्त सामग्री जैसे शहद की बोतलें, तौलिए, गमछा,औषधि के बॉक्स तथा अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गयी।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रचार निदेशालय द्वारा इस कोविड-19 महामारी के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई पहल के संबंध में जागृति विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

मैं, अपने सभी राज्य कार्यालयों और खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के प्रयासों को समेकित करने में प्रचार निदेशालय द्वारा किए गए इस प्रयत्न की सराहना करता हूं।

विनय कुमार सक्सेना
अध्यक्ष
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रीता वर्मा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

भारत, कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए अपने महत्वपूर्ण चरण पर है। ऐसे समय में लॉकडाउन ही एकमात्र पर्याय था। देश, ऐसे कठिन समय में इस गंभीर संकट का सामना करने के लिए एकजुट है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) भी इस घातक महामारी कोरोना वायरस का सामना करने के लिए देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

लॉकडाउन अवधि के दौरान आयोग के राज्य कार्यालयों और खादी संस्थाओं ने आजीविका बचाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए खादी कॉटन मास्क बनाने के साथ-साथ खाद्य / दूध के पैकेट, अनाज की आपूर्ति करने और खादी मास्क बांटने की जिम्मेदारी उठायी। चूंकि, भारत कोरोना वायरस का सामना करने के लिए वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ मास्क की कमी का सामना कर रहा है, ऐसे समय में खादी मास्क का उत्पादन खादी और ग्रामोद्योग आयोग की आर्थिक स्थिति में भी सहायक होगा।

लॉकडाउन के दौरान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 31 मई, 2020 तक जरूरतमंद व्यक्तियों को 898762 खादी फेस मास्क, 132428 फूड पैकेट, 35382 दूध के पैकेट, 53425 अनाज/कच्ची राशन सामग्री के किट (जिसमें आटा, चावल, दाल, खाद्य तेल, मसाले आदि) एवं 52975 सैनिटाइजर की बोतलें, 19218 साबुन केक, इसके अलावा 54255 अतिरिक्त सामग्री जैसे शहद की बोतल, तौलिए, गमछा, औषधि के बॉक्स तथा अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की गई। इस कार्य के लिए राज्य कायार्लयों द्वारा उठाये गये कदम सराहनीय हैं।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रचार निदेशालय कोविड-19 महामारी के दौरान केवीआईसी द्वारा की गई पहल, जो राष्ट्र को समर्थन प्रदान करती है, के संबंध में 'जागृति विशेषाकं' प्रकाशित कर रहा है। मैं, इन प्रयासों को समेकित करने और इन मुद्दों को प्रकाशित करने में प्रचार निदेशालय के इस प्रयासों की सराहना करती हूं।

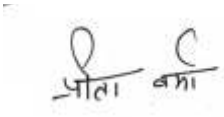

प्रीता वर्मा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

इस अंक में

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

डिजाईन व पृष्ठसज्जा
सुबोध कुमार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056
के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों
तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग
अथवा संपादक सहमत हों

अध्यक्ष का संदेश.....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश.....

आवरण कथा:आयोग ने सेवा भाव से मदद के हाथ बढ़ाए 3-5

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सभी आंचलिक क्षेत्रों में वितरित वस्तुएं/सामग्री के आंकड़े....6-7

कोविड-19 संकट में पश्चिमी क्षेत्र ने लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बढ़ाये कदम.....8

दक्षिण क्षेत्र ने इस संकट काल में जरुरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया..... 11

कोरोना महामारी से लड़कर कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करता खादी और ग्रामोद्योग आयोग..... 15

जरूरतमंदों की मदद करने हेतु पूर्वी क्षेत्र द्वारा किए गये सभी प्रयास 21

जरूरत में मदद करना दान नहीं बल्कि मानवता है 24

कोविड -19 महामारी के नियंत्रण और इससे लड़ने में मानवीय भाव के रूप में
उत्तर-पूर्व क्षेत्र द्वारा की गयी पहल 32

-: आवरण कथा :-

आयोग ने सेवा भाव से मदद के हाथ बढ़ाए

भारत 130 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है जो 28 राज्यों, 8 केन्द्र शासित प्रदेशों और 6 लाख गांवो में बसा है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि लगभग 18% आबादी एक संक्रामित रोग से प्रभावित है जो किसी भी इंसान को न केवल मानव स्पर्श के माध्यम से बल्कि उसके संपर्क में आने वाली हर एक वस्तु उसे संक्रमित कर सकती है। दुर्भाग्य से, कोरोना वायरस महामारी, कोविड-19 एक ऐसी महामारी है, जो तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 (सार्स-CoV-2) के कारण होती है, जो दुनिया भर में लोगों को संक्रमित कर रही है। दिसंबर, 2019 में चीन के वुहान शहर में यह महामारी पहली बार फैलने के पश्चात, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल) की घोषणा की और 11 मार्च, 2020 को पूरी दुनियां के लिए इसे एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया।

पलक झपकते ही भारत भी इस वायरस की चपेट में आ गया, एक तरफ इस वायरस ने जीवन का भय पैदा कर दिया क्योंकि यह बीमारी बड़े पैमाने पर अनिश्चितता के साथ लोगों के बीच फैलने की भारत सरकार ने पुष्टि की। भारत में प्रथम बार कोरोना वायरस बीमारी 2019 ने 30 जनवरी, 2020 को केरल राज्य में दस्तक दी, जब वुहान विश्वविद्यालय का एक छात्र इस राज्य में वापस आया। प्रारम्भ में जब कोविड -19 मामलों की संख्या 500 तक पहुँच गई, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 मार्च, 2020 को राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी नागरिकों को 22 मार्च से 'जनता कर्फ्यू' (लोगों के लिए कर्फ्यू) लगाने के लिए कहा। जिसका सीधा संबंध था कि लोग इस महामारी की गंभीरता को समझे और यह लॉकडाउन किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संपर्क से बचने के लिए आसान तरीका था, जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आने पर अपना प्रभाव छोड़ देता है, और इस तरीके से ही इसका प्रभाव कम हो सकता है। राष्ट्र के नाम संबोधन में, श्री मोदी जी ने कहा कि "कोरोना वायरस के फैलने पर नियंत्रण रखने का एकमात्र समाधान सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) है, जिसके माध्यम से ही कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ा जा सकता है।"

हालांकि लोगों ने 75 जिलों में इस लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन किया, जहां भी कोविड से संबन्धित मामले सामने आए। आगे, 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन

को राष्ट्रव्यापी रूप से आगे बढ़ाया गया, और इसे आगे 18 मई तक बढ़ाया गया एवं इस दौरान कोरोना से 37,336 पीड़ितों और इस बीमारी से 1218 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई।

हमारे प्रधान मंत्री ने अपने आह्वान में कहा कि **"जान भी, जहान भी"** उनके द्वारा दिखाये इसी मार्ग के साथ भारत इस लड़ाई से लड़ने को पूर्णतः तत्पर है। आज दुनिया, इस घातक वायरस को दूर करने के लिए भारत के इस दृढ़ संकल्प और समर्पण को सलाम करती है।

इस प्रकोप को एक दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी के रूप में घोषित किया गया है, जहां महामारी रोग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों को लागू किया गया है।

इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है, यह एक बहुत ही कठिन कार्य है जिसमें बिना समय गवांये इस बीमारी से निजात पाने के लिए स्वच्छता और सभी सुरक्षा उपायों के साथ कार्य करने की जरूरत है। हमारी भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये हैं और हम कोविड-19, महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। लेकिन इस विनाशकारी समय में, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमारी सरकारों के अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि अन्य संगठन भी एकजुटता दिखाएं और लोग, स्थानीय समुदायों की रक्षा के लिए एकजुट हों तथा लोगों के अस्तित्व के लिए आगे आएं।

महात्मा गांधी ने कहा था, "अगर आप अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखते हैं, ब्रह्मांड स्वयं की देखभाल करेगा।" बापू द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक बार फिर से इस कठिन समय में, समाज के सबसे गरीब तबके के लोगों को रोजी-रोटी उपलब्ध कराने के लिए खड़ा है। विकास लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, न कि केवल अर्थशास्त्र में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) का प्रमुख संगठन है, जिसे आयोग के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रति व्यक्ति कम निवेश पर खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों के क्रियान्वयन के माध्यम से ग्रामीण भारत में विकेन्द्रीकृत गैर-कृषि क्षेत्र के लाखों पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों के लिए स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्थापित किया गया है| केवीआईसी द्वारा प्रदान किए गए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास, विपणन आदि के इंटरवेनशन ने अपने विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ लोगों के विकास को बनाए रखते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद की है।

इस प्रकार एक बार पुनः अपने बनाए सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने एक मजबूत सामुदायिक भावना के निर्माण की नैतिकता का अभियान चलाया, जो देश में कंधे से कंधा मिलाकर, देश के 6 क्षेत्रों में स्थित अपने 45 राज्य / मंडलीय कार्यालयों और खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के आसपास रहने वाले बेघर परिवारों, दैनिक मजदूरों, कमजोर असहाय परिवारों के छोटे बच्चों, जिन्हें प्रतिदिन एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल है, को संकट का सामना करने में सक्रिय सहायता प्रदान करके अधिक से अधिक मदद करने में जुटे हैं। आयोग ने इन जरूरतमन्द लोगों की मदद करने के लिए अपने आप को जोड़ लिया है।

आयोग लॉकडाउन कर्फ्यू से प्रभावित अन्य लोगों को भोजन और दूध की आपूर्ति करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश देने में भी सहायता कर रहा है एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही सलाह के अनुसार कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश भी दे रहा है। जैसा कि हम यह नहीं जानते कि यह महामारी किस तरह से दुनिया को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है, जो बहुत से लोगों को चिंताग्रस्त कर रही है, और उन्हें अकेलापन महसूस करा रही है।

यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी निदेशक माइकल रयान ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए भारत के पास "जबरदस्त क्षमता" है। अन्य समीक्षकों ने लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक तबाही के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसका

अनौपचारिक रुप से श्रमिकों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, किसानों और स्वरोजगार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जो परिवहन और बाजारों तक पहुंच के अभाव में कई अपनी आजीविका छोड़ रहे हैं। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस महामारी का डटकर जवाब दिया है, जैसेकि तत्पर कार्ययोजना, आपातकालीन नीति, स्वास्थ्य सेवा में आपातकालीन निवेश, वित्तीय उपाय, स्थितियों के अनुसार सक्रिय प्रतिक्रिया और इसकी आवश्यकतानुसार सख्ती से अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश की।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने निम्नलिखित तरीके से जरूरतमंदों का समर्थन करने की कोशिश की:

जीवन चलाने वाली अवश्यक वस्तुओं से सहायता:

अपने सामाजिक उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने विभिन्न राज्यों / मण्डलीय कार्यालयों में तैनात योद्धाओं के माध्यम से 898762 खादी फेस मास्क, 132428 भोजन के तैयार पैकेट, 35382 दूध के पैकेट, 53425 राशन/कच्ची अनाज सामग्री पैकेट(जिसमें आटा, चावल, दाल, खाद्य तेल, मसाले आदि) तथा 52975 सेनिटाइजर बोतलें, 19218 साबुन, वितरित किए, इसके अलावा 54255 अन्य वस्तुएं जैसे शहद की बोतले, तौलिए, गमछे, दवाईयां और बॉथ कीट आदि भी कार्यालयों द्वारा वितरित की गयी। जब राष्ट्र को हमारी जरूरत थी हमने मदद के हाथ आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता:

कारीगर कल्याण कोष ट्रस्ट योजना के तहत अप्रैल 2020 में, केवीआईसी के सभी कार्यालय को सभी कारीगरों, कतिनों, बुनकरों के खाते में निरंतर तीन महीनों के लिए प्रति कारीगर 1,000.00 रुपये की राशि जमा करने का निदेश दिए गए। लॉकडाउन की अवधि काफी लंबी है, जिसमें खादी से जुड़े कतिनों और बुनकरों और गरीब परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, आयोग द्वारा प्रत्येक खादी कारीगर को प्रति माह लगभग 3000/- रुपये प्रदान करने का प्रावधान का एक सराहनीय कदम होगा। लॉकडाउन अवधि के दौरान खादी से जुड़ा हर परिवार सभी इसका समर्थन कर रहे हैं।

कर्मचारियों द्वारा ग्रामकोष में योगदान:

इस महामारी के समय, जहां केंद्र / राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, इस संगठन ने हमेशा देश के गरीबों के कल्याण में अपनी नैतिक और मानवीय जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों ने प्राकृतिक आपदा / महामारी के दौरान सहायता देने के लिए बनाए गए ग्रामोदय कोष में अपने एक दिन के वेतन का योगदान दिया है।

खादी और पीएमईजीपी संस्थाओं को खादी फेस मास्क का उत्पादन करने के लिए कहा गया है जिसकी वर्तमान में भारी मांग है। यह न केवल उनकी आय के स्रोत को चालू रखेगा, बल्कि राष्ट्र को प्राकृतिक वस्त्र के मास्क की आवश्यकता को भी पूरा करेगा।

अंत में, इसके बावजूद कि अगले कुछ हफ़्ते कैसे भी रहें, कोविड -19, इन्फ्लूएंजा महामारी-1918 की तरह दुनिया को बदल सकता है। महामारी के इस वायरस के प्रसार को सीमित करने में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चूंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसे भारत को ध्यान में रखना चाहिए। 2020 में, तो यह परिवर्तन अधिक आर्थिक और सामाजिक हो सकता है!!

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सभी आंचलिक क्षेत्रों में वितरित वस्तुएं/सामग्री के आंकड़े

31.05.2020 तक आयोग द्वारा वितरित की गयी वस्तुएं

राज्य / मण्डलीय कार्यालयों का नाम	कुल फेस मास्क	कुल तैयार खाद्य पैकेट	कुल दूध पैकेट	किराना /कच्चा माल किट जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले	कुल सैनिटाइजर बॉटल	कुल साबुन	कुल अन्य आवश्यक वस्तुएं	कुल नकद
उत्तर क्षेत्र								
स्था.प्र. का. दिल्ली	500	0	0	0	0	0	0	0
रा.का. दिल्ली	1100	2500	1528	0	0	0	1560	0
रा.का., जम्मू कश्मीर	14725	2550	1512	1023	0	0	0	0
रा.का., शिमला	57038	987	0	0	5676	1550	110	35900
रा.का., अंबाला	45585	1800	1600	348	2050	0	510	84500
रा.का., चंडीगढ़	8810	0	0	350	3330	3000	7500	100000
रा.का., जयपुर	40000	2500	1100	0	2050	0	1050	0
वि.का., बीकानेर	10450	7000	1500	0	200	0	26	21000
कुल उत्तर क्षेत्र	**178208**	**17337**	**7240**	**1721**	**13306**	**4550**	**10756**	**241400**
मध्य क्षेत्र								
रा.का., भोपाल	27202	0	3431	3858	0	3248	0	0
रा.का., देहरादून	11147	100	0	50	100	0	0	10000
रा.का., रायपुर	20648	1750	0	2659	8400	2800	0	0
रा.का., लखनऊ	2000	25200	0	0	0	0	0	1000000
वि.का., मेरठ	128714	4062	1400	713	250	900	589	37000
वि.का., वाराणसी	47390	3520	2760	1125	1197	615	1335	0
वि.का., गोरखपुर	24270	4300	1300	470	8295	0	6705	0
कुल मध्य क्षेत्र	**261371**	**38932**	**8891**	**8875**	**18242**	**7563**	**8629**	**1047000**
पूर्व क्षेत्र								
रा.का., कोलकाता	67855	0	1775	1285	0	0	0	0
रा.का., पटना	25578	6280	0	2228	2640	0	439	0
रा.का., रांची	38500	350	0	0	350	0	1900	0
रा.का., भुवनेश्वर	13731	2600	1500	1072	0	0	0	0
कुल पूर्व क्षेत्र	**145664**	**9230**	**3275**	**4585**	**2990**	**0**	**2339**	0

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सभी आंचलिक क्षेत्रों में वितरित वस्तुएं/सामग्री के आंकड़े

31.05.2020 तक आयोग द्वारा वितरित की गयी वस्तुएं

राज्य / मण्डलीय कार्यालयों का नाम	कुल फेस मास्क	कुल तैयार खाद्य पैकेट	कुल दूध पैकेट	किराना /कच्चा माल किट जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले	कुल सैनिटाइजर बॉटल	कुल साबुन	कुल अन्य आवश्यक वस्तुएं	कुल नकद
उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र								
रा. का., गंगटोक	0	0	0	0	0	0		0
रा. का., ईटानगर	818	0	0	99	0	0		80000
रा. का., दीमापुर	500	0	0	0	0	0		0
रा. का., इंफाल	2000	0	0	12100	0	0		0
रा. का., एजवाल	700	0	0	0	0	0		0
रा. का., अगरतला	2000	462	110	29	110	220		59100
रा. का., शिलाँग	0	0	0	0	0	0		0
रा.का., गुवाहाटी	2693	0	0	965	100	0		0
कुल उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र	**8711**	**462**	**110**	**13193**	**210**	**220**		**139100**
दक्षिण क्षेत्र								
रा.का., विजयवाड़ा	7200	2136	1700	2089	0	0	195	7016
रा.का., विशाखापट्टनम	3400	410	2000	600	0	0	300	10000
रा.का., हैदराबाद	8800	3462	950	2139	0	100	195	18516
रा.का., बैंगलोर	5535	32390	200	3140	0	0	200	0
वि.का., हुबली	0	1641	1500	0	0	0	0	0
रा.का., त्रिवेंद्रम	53000	1000	3250	5508	1027	0	486	0
रा.का., चेन्नई	19750	17803	1206	439	600	0	0	0
वि.का., मदुरै	15725	1225	1500	2050	500	6785	1155	0
कुल दक्षिण क्षेत्र	**113410**	**60067**	**12306**	**15965**	**2127**	**6885**	**2531**	**35532**
पश्चिम क्षेत्र								
रा.का., मुंबई	500	2500	0	0	5500	0	0	0
वि.का., नागपुर	3350	2500	1560	4500	0	0	0	0
रा.का., अहमदाबाद (30,000 मीटर कपड़ा)	187548	1400	2000	4586	10600	0	30000	424000
रा.का., गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल पश्चिम क्षेत्र	**191398**	**6400**	**3560**	**9086**	**16100**	**0**	**30000**	**424000**
कुल योग	**898762**	**132428**	**35382**	**53425**	**52975**	**19218**	**54255**	**1887032**

पश्चिम क्षेत्र

कोविड-19 संकट में पश्चिमी क्षेत्र ने लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बढ़ाये कदम

अहमदाबाद, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित आयोग के राज्य कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए आगे आए कि कोविड राहत अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया जाय। उनका यह प्रयास कोविड जैसी महामारी का सामना करने और समाज के असहाय जरुरतमंदों को भोजन, अनाज और संबंधित सामुदायिक जागरूकता लाने के समर्थन में परस्पर जुड़े रहने का यह एक बड़ा उदाहरण है।

ये राज्य कार्यालय मुख्य रूप से इस कोविड संबंधित संकट से प्रभावित परिवारों को भोजन की सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन कार्यालयों ने प्रभावित घरों को अनाज, दाल, खाद्य तेल, चीनी, नमक, चाय, मसालें, मास्क, साबुन और खाद्य राशन किट प्रदान किए। आयोग के राज्य कार्यालयों ने अपने राहत कार्यों के माध्यम से जिन कमजोर परिवारों/व्यक्तियों की सहायता की, इनमें दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कार्य करने वाले, अपशिष्ट उठाने वाले, फेरीवाले (ऐसे लोग जो लॉकडाउन के कारण काम नहीं कर सकते हैं), छोटे विक्रेता (फुटपाथ पर सब्जी और फलों की बिक्री करने वाले), विधवाओं और महिला प्रमुख परिवारों, बुजुर्ग व्यक्तियों, ऑटो चालक और गंभीर रूप से बीमार सदस्यों वाले परिवार शामिल हैं। इन लोगों को खाद्य-किट वितरित करने के दौरान कहीं से भी संकट कॉल आने पर, राज्य कार्यालय सक्रिय रूप से सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों में लग जाते हैं, उन्हें स्वस्थ रहने संबंधित जानकारी के साथ-साथ मास्क पहने और हाथ धोने/ एल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का उपयोग करने आदि के बारे में जानकारी देते हैं। विशेष रूप से बच्चों तक पहुंचकर उन्हें दूध पैकेट वितरित किए और इन बच्चों के माध्यम से सीधा संवाद संपर्क स्थापित कर उनके परिवारों को भी संदेश भेजा गया। इसके अलावा, समाज के विशेषकर किशोर लड़कियों और बच्चों के कोरोना महामारी की जानकारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया, ताकि वे किसी प्रकार के डर और दहशत में आएं।

राज्य कार्यालय, गुजरात

राज्य कार्यालय, गुजरात और इससे जुड़ी खादी संस्थाओं ने इस महामारी काल में जरूरतमंदों की सहायता करके बहुत सराहनीय कार्य किया है। अप्रैल, 2020 तक गुजरात की इन संस्थाओं ने अपने सेवा कार्य में 62,000 खादी मास्क, 1430 फूड किट, 30000 मीटर खादी वस्त्र और भोजन वितरित किया है। मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 6 संस्थाओं ने भी आर्थिक योगदान दिया है। इसके अलावा, गुजरात की ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाईयों और खादी संगठनों द्वारा कोरोना योद्धों को 5600 सैनिटाइज़र बोतलें वितरित की गयी।

इसके अतिरिक्त, राज्य कार्यालय, अहमदाबाद ने 18 अप्रैल, 2020 को बोपाल और मणिपुर एक्सटेंशन, अहमदाबाद में 500 दूध के पैकेट, बिस्किट, खादी मास्क तथा 19 अप्रैल, 2020 को अहमदाबाद के साबरमती-चादखेड़ा में 500 दूध के पैकेट, बिस्किट, मास्क, और 22 अप्रैल, 2020 को गांधीनगर जिले के अदलाज और उवरसाद गांवों में जरूरतमंद परिवारों को 600 दूध के पैकेट, बिस्किट, मास्क और गेहूं के आटे का वितरण किया गया। इस अवधि के दौरान यह महसूस किया गया था कि कोरोना महामारी के कारण, जो गरीब लोग प्रति दिन कमाई करके दो वक्त के भोजन की व्यवस्था करते हैं, ऐसे लोगों का इस महामारी के वजह से उनका रोज़गार चला गया है तथा उनके लिए दाल, चावल, तेल, मसाले, चीनी या दो समय के भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया जो जीवनयापन करने के लिये आवश्यक है।

राज्य कार्यालय, महाराष्ट्र

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान 22 मार्च 2020 से 12 मई 2020 तक कोविड-19 महामारी संकट का सामना करते हुए बहुत से सकारात्मक कदम उठाए।

राज्य कार्यालय ने महाराष्ट्र शासन के दिशानिर्देशों का पालन करते हुये राजश्री साहू मानव विकास बहुउद्देश्यीय समाजिक सेवा संस्था, दहिसर (ई), मुंबई - 68 और आदर्श शैक्षणिक एवं समाजिक संस्था, जिला पालघर जैसे गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से पालघर, मुंबई, ठाणे जिला राजमार्गों पर फसे प्रवासी कामगारों को 2500 खाद्य पैकेट वितरित किए और 18 जिलों में 18 खादी संस्थाओं और एक स्फूर्ति संस्था ने 10850 सूती वस्त्र से बने फेस मास्क जरुरतमंदों को वितरित करने के लिये जिला कलेक्टर को सौंपे।

एक खादी संस्था ने भी 55 कारीगरों को राशन खाद्य सामग्री पैकेट (आटा, चावल, दाल, तेल आदि) वितरित किए और एक स्फूर्ति संस्था/एजेंसी ने कारीगरों को 300 राशन खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए। 3 खादी संस्थाओं ने कारीगर कल्याण कोष के माध्यम से 601 कारीगरों को प्रति कारीगर 1,000/- रुपये के दर से सीधे उनके खातों में लगभग 6,01,000/- रुपये जमा किए।

श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ लिमिटेड मुंबई ने 24321 कारीगरों के खाते में अप्रतिदेय 18,56,66,000/- रुपये जमा किए और प्रधान मंत्री राहत कोष में 50,00,000 /- रुपये तथा मुख्य मंत्री राहत कोष में 25,00,000/- रु. जमा किए ।

मण्डलीय कार्यालय, नागपुर

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, नागपुर ने कई प्रमुख पहल करते हुए नागपुर में विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों और प्रवासी कामगारों की मदद के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू कीं, जो नागपुर में विभिन्न स्थानों पर फसे हुये थे, इसकी पहचान जिला प्रशासन द्वारा की गई।

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, नागपुर ने 30 मार्च, 2020 से 3 अप्रैल, 2020 के दौरान प्रतिदिन 500 भोजन के पैकेट विभिन्न क्षेत्रों जैसे 1) नागपुर मुख्य रेलवे स्टेशन 2) एनएमसी, शेल्टर होम, गणेश टेकड़ी, नागपुर 3) ट्रक ड्राइवर / सफाई कर्मचारी, कैम्पटी रोड 4) पी. डब्लु.एस. कॉलेज शेल्टर होम, कैम्पटी रोड, नागपुर 5) एपीएमसी मार्केट, कलामना, नागपुर 6) सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल कैंपस, तुकादोजी पुतला, नागपुर 7) तपस्या स्कूल, अवधूत नगर, मानेवाड़ा 8) आदर्श विंकर कॉलोनी स्लम, शिवकृपा हॉल के पास, बालाभाऊपेठ, नागपुर 9) नोगा फैक्ट्री स्लम, मोतीबाग, नागपुर 10) कस्तुरबा नगर, ज़रीपटका, नागपुर 11) हुडको कॉलोनी, ज़रीपटका, नागपुर में वितरित किये गये। यह वितरण अभियान 3 अप्रैल, 2020 तक सफलतापूर्वक चलाया गया।

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, नागपुर ने 3 स्वयंसेवी संगठनों जैसे स्वयंभू फाउंडेशन, मानिनी आदिवासी महिला बचत गट और संघर्ष स्वयं सहायता महिला बचत गट की सहायता से 2 दिनों तक दूध और बिस्कुट वितरित किया।

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, नागपुर ने मदर डेयरी और स्वयं सहायता फाउंडेशन, नागपुर के सहयोग से 18 अप्रैल, 20 अप्रैल और 22 अप्रैल 2020 को प्रतिदिन 500 दूध के पैकैट भी वितरित किए।

मण्डलीय कार्यालय के कर्मचारियों ने खादी मास्क बनाने के लिए सीधे खादी संस्थाओं की मदद की। तदनुसार, भंडारा जिला सहकारी समिति, गोंदिया के पास खादी मार्क प्रमाण पत्र है और इस खादी संस्था ने अपने उत्पादन केंद्र में खादी मास्क का निर्माण शुरू किया, जिसके कारण खादी मास्क की ब्रांडिंग और वास्तविकता में सुधार हुआ है और सरकारी एजेंसी द्वारा व्यापक रूप से इसे स्वीकार किया गया है, अब तक भंडारा और गोंदिया जिले में 3000 मास्क वितरित किये गए हैं।

दक्षिण क्षेत्र

दक्षिण क्षेत्र ने इस संकट काल में जरुरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया

देश के दक्षिणी राज्य भी समान रूप से कोरोना-संक्रमण से प्रभावित है, आयोग के दक्षिण क्षेत्र के तहत काम करने वाले सभी कार्यालयों द्वारा अपने खादी संस्थाओं और पीएमईजीपी इकाईयों के सहयोग से लाखों जरुरतमंद लोगों को भोजन, दूध और खादी मास्क एवं अन्य जरुरी वस्तुओं का वितरण किया गया। दक्षिण क्षेत्र के तहत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में आयोग के राज्य कार्यालय, उप कार्यालय और मण्डलीय कार्यालय आते हैं।

आयोग के बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, बेंगलुरु के सहयोग से राज्य कार्यालय, केवीआईसी, बेंगलुरु ने विजिनपुरा, के.आर. पुरम रेलवे स्टेशन, एफसीआई गोडाउन, राममूर्ति नगर थाना क्षेत्र के प्रवासी कामगारों, जरुरतमंदों और गरीबों को खाद्य पैकेट वितरित किए। इसके साथ ही, स्थानीय केवीआईसी कार्यालय द्वारा हुबली और खानापुर जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी की गई।

इस महामारी के समय, जहां केंद्र/राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ऐसे समय में इस संगठन ने देश के गरीबों के कल्याण में अपनी नैतिक और मानवीय जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

आयोग के राज्य कार्यालय, चेन्नई, उप कार्यालय कोयंबटूर ने क्षेत्र में स्थानीय खादी संस्थाओं के सहयोग से कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान भोजन के पैकेट, दूध पैकेट, आवश्यक राशन/ अनाज के किट, खादी फेस मास्क, नीम साबुन आदि वितरित किए।

आंध्र प्रदेश के एस.जे.एन.संघम, श्रीकाकुलम ने नरसन्नापेटा गांव में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को दूध के पैकेट वितरित किए। आंध्रा फाइन खादी कर्मिखा अभिरुद्धि संघम, पोंडुरु के सचिव द्वारा राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारियों, जनरल अस्पताल को खादी मास्क वितरित किए गए। एस.जे.एन.संघम, संघम, श्रीकाकुलम के सचिव ने जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दूध के पैकेट वितरित किए।

ग्राम स्वराज संघम, श्रीकाकुलम के सचिव ने जरूरतमंद व्यक्तियों को सब्जियाँ वितरित की। श्री भाम भाम बाबा रेशम खादी विकास संघ, हिंदूपुर, अनंतपुर जिला विजयवाड़ा के सचिव ने जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरित की।

श्री बीरलींगेश्वर ग्रामीण विकास संघ, कुंडुरपी मंडल, धर्मवारम के सचिव ने जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरित की।

रेशम खादी ग्रामोद्योग संघ, धर्मावरम के सचिव ने बच्चों को दूध के पैकेट वितरित किए।

राज्य कार्यालय, बेंगलुरु

माननीय अध्यक्ष ने दैनिक वेतन भोगियों विशेषकर खादी कारीगरों के बचाव के लिए सभी कारीगरों को पूर्ण सहयोग देते हुए अप्रैल 2020 से तीन महीने के लिए खादी कारीगर वेल्फेयर ट्रस्ट फण्ड से 1,000/- रूपये प्रदान करने का आह्वान किया, और इसके साथ-साथ मनरेगा श्रमिकों के समतुल्य खादी कारीगरों को तीन महीने के लिए 2,000/ - रूपये प्रति माह मजदूरी मुआवजा डीबीटी के माध्यम से राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों

के साथ समन्वय के लिए प्रयास किये जाये । खादी कारीगर वेल्फेयर फण्ड ट्रस्ट से 1,000/- रूपये के अलावा खादी कारीगरों को तत्कालिक राहत के रूप में चावल, दाल और आटा आदि के राशन खाद्य सामग्री के पैकेट उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र की सभी खादी संस्थाओं को प्रेरित किया गया । देश भर की सभी खादी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि खादी कपड़े से बने कम से कम 500 खादी फेस मास्क (भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार) बनाएं और इन खादी मास्क को जिला अधिकारी कार्यालय को सौंपें, जो कोविड -19 संकट से लड़ रहे हैं। खादी संस्थाओं को ईपीएफ सहयोग के लिए पात्र अपने कर्मचारियों की सूची भेजने की सलाह दी जैसाकि भारत सरकार ने ईपीएफओ को घोषित किया है।

आयोग के बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, बेंगलुरु के सहयोग से राज्य कार्यालय, केवीआईसी, बेंगलुरु ने प्रवासी कामगारों और गरीब लोगों की मदद के लिए विजिनपुरा, के.आर. पुरम रेलवे स्टेशन, एफसीआई गोदाम, राममूर्ति नगर थाना क्षेत्र में 30.03.2020 से 03.04.2020 तक लगभग 1140 खाद्य पैकेट वितरित किए।

राज्य कार्यालय ने एमएमडीए मजदूरी अपलोड पोर्टल से एडब्ल्यूएफ ट्रस्ट को अप्रैल, 2020 के महीने के लिए प्रत्येक खादी कारीगर के लिए बैंक खाते में 1,000/ -रुपये राशि का भुगतान करने के लिए 90 खादी संस्थाओं के कारीगरों की सूची भी प्रदान की।

राज्य कार्यालय, बंगलुरु ने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर खादी संस्थाओं के साथ फेस मास्क की आपूर्ति के लिए भी पहल की। खादी संस्थाओं के साथ 6.00 करोड़ रुपये कीमत के फेस मास्क की आपूर्ति के लिए आदेश रखा गया है।

राज्य कार्यालय ने कर्नाटक सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ भी चर्चा की और मनरेगा श्रमिकों के रूपये 2000 /- रुपये प्रति माह के तर्ज पर संबंधित जिले में खादी संस्थाओं के साथ काम करने वाले खादी कारीगरों की सूची के अनुसार डीबीटी के माध्यम से प्रति माह खादी कारीगरों को तीन महीने के लिए मजदूरी मुआवजे से राहत प्रदान करने का अनुरोध किया। बेंगलुरु की खादी संस्थाओं ने दूध के पैकेट और 6025 फेस मास्क आदि जैसे अन्य सामानों के अलावा 31,250 फूड पैकेट भी वितरित किए।

राज्य कार्यालय, केरल

राष्ट्र के अन्य हिस्सों की तरह केरल राज्य प्रमुख स्थानों में से एक था जिसने राहत गतिविधियों में अपना भरपूर योगदान दिया। सात खादी संस्थाओं के माध्यम से राहत गतिविधियों का संचालन किया गया । आयोग के राज्य कार्यालय, त्रिवेन्द्रम द्वारा 1500 बच्चों के लिए दूध वितरण चलाया गया और लेकिन राज्य कार्यालय, केवीआईसी त्रिवेंद्रम की निगरानी में अन्य गतिविधियों का संचालन खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं ने अपने स्वयं के निधि का उपयोग करके किया।

पूरे राज्य में लगभग 17 संस्थाओं की मदद से गरीब जरुरतमंद लोगों सहित खादी कारीगरों को 52000 फेस मास्क, 1000 फूड पैकेट, और बच्चों को 1500 दूध के पैकेट, 5508 राशन/ कच्ची सामग्री किट, 1022 सेनिटाइज़र बोतलें / साबुन और लगभग 486 सब्जी किट वितरित किए गए।

राज्य कार्यालय, चेन्नई और उप कार्यालय कोयंबटूर

राज्य कार्यालय, चेन्नई, उप कार्यालय कोयंबटूर और इस क्षेत्र में स्थित खादी संस्थाओं ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान खादी कारीगरों सहित जरुरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट, दूध, राशन किट, खादी फेस मास्क, नीम साबुन आदि वितरित किए।

कोविड -19 राहत अभियान के एक हिस्से के रूप में, आयोग ने कोयम्बटूर, इरोड और करूर जिलों में प्रवासी श्रमिकों को विशेष रूप से भोजन की आपूर्ति की और 30.03.2020 से 03.04.2020 तक प्रतिदिन लगभग 2000 भोजन पैकेट वितरित किए।

इसी प्रकार, इस क्षेत्र की खादी संस्थाओं जैसे स्वदेशी सर्वोदय संघ, कोयम्बटूर, अरनी सर्वोदय संघ, अरनी और त्रिची उत्तर सर्वोदय संघ, त्रिची ने प्रवासी श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, सड़क किनारे बांस की टोकरी बनाने वाली महिलाओं, श्रमिकों और खादी संस्थाओं के कतिनों और बुनकरों को रेडीमेड फूड पैकेट, राशन खाद्य सामग्री किट वितरित की । 27.03.2020 से 26.04. 2020 तक 17,800 फूड पैकेट और चावल, दाल, प्याज, टमाटर, मिर्च, मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, अदरक, चाय और सूती मास्क युक्त

440 राशन खाद्य सामग्री किट वितरित की।

चेन्नई कार्यालय के अंतर्गत लगभग 26 खादी संस्थाओं ने स्वेच्छा से लगभग 20,000 खादी फेस मास्क तैयार करके जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, निगमों / नगरपालिकाओं के आयुक्त, स्थानीय तहसीलदार को सौंपे, ताकि जिसे पुलिस बलों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यकर्ताओं और गाँव के जरूरतमंद गरीब लोगों को वितरित किया जा सके।

स्वदेशी सर्वोदय संघ, कोयम्बटूर ने 17.04.2020 से 26.04.2020 तक कोयंबटूर के नीलांबूर, चिन्नीमपालयम और अविनाशी राजमार्ग के क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिकों को लगभग 16000 रेडिमेड फूड पैकेट, 390 राशन किट तथा इन क्षेत्रों के विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को 1200 दूध के पैकेट भी वितरित करके सराहनीय कार्य किया।

तीन खादी संस्थाओं जैसे सलेम जिला सर्वोदय संघ, तमिलनाडु सर्वोदय संघ और पोलाची सर्वोदय संघ ने इस लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने संबंधित क्षेत्र के सिटी पुलिस कमिश्नर, सरकारी अस्पताल, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय तहसीलदार कार्यालयों को हाथ धोने के उद्देश्य से 600 नीम साबुन बार सौंपे,ताकि वे लॉकडाउन अवधि के दौरान इन्हें उपयोग में ला सके।

राज्य कार्यालय, चेन्नई और उप कार्यालय, कोयंबटूर ने खादी संस्थाओं के साथ मिलकर चेन्नई क्षेत्र में अविश्वसनीय काम किया है।

राज्य कार्यालय, तेलंगाना ने 1500 फूड पैकेट और 250 दूध के पैकेट भी वितरित किए।

उत्तर क्षेत्र

कोरोना महामारी से लड़कर कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करता खादी और ग्रामोद्योग आयोग

आज भी महात्मा गांधी के शब्दों की शक्ति हमें स्वयं को बदल कर दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित करती है। "मानवता की महानता मानव में नहीं, बल्कि मानवीय होने में है।"खादी और ग्रामोद्योग आयोग में काम करना एक गर्व और संतोष की बात है, क्योंकि यह आधिकारिक कर्तव्य के रूप में लोगों और समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा के साथ, यह आग्रह किया गया था कि हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए और चिलचिलाती धूप में सड़कों पर बच्चों के साथ चलने वाले इन प्रवासी श्रमिकों की मदद करना चाहिए।

आयोग के माननीय अध्यक्ष की अपील और केवीआईसी के आधिकारिक परिपत्र के संदेश के प्रसार के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रवासी मजदूरों, कारीगरों को राहत / सहायता प्रदान करने हेतु फूड पैकेट, दूध और मास्क इत्यादि का वितरण करके स्थानीय प्रशासन का कार्य आसान हो गया, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने यह मान लिया है कि केवीआईसी के कर्मचारी आधिकारिक क्षमता से आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का निर्वाह रहे हैं। कारीगरों, श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को राहत प्रदान करने में सामाजिक संगठन के रुप में अपने प्रसार और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए खादी और ग्रामाद्योग आयोग के इन सकारात्मक रचनात्मक कार्यों ने संगठन के लिए सम्मान अर्जित किया है और कोविड-19 की चुनौती लेने के लिए टीम भावना को बढ़ाया।

राज्य कार्यालय, दिल्ली

राज्य कार्यालय, दिल्ली के तहत ज्यादातर कर्मचारी एनसीआर में रहते हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर कर्मचारी /अधिकारी की टीम व्हाट्सएप और ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहे। यहां तक कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग ने पूर्ण सहयोग कर "खादी विभाग" के प्रयासों की सराहना की है क्योंकि केवीआईसी को आमलोग एक विभाग के रूप में जानते हैं।

केवीआईसी के पुराने सहयोगियों ने स्थानीय मिठाई की दुकान के मालिक से संपर्क किया और उन्हें अल्प समय में ही सूचना देकर स्वच्छता से भोजन तैयार करनेके लिए कहा। राज्य कार्यालय, दिल्ली की टीम ने पांच दिनों के लिए प्रति दिन 500 खाद्य पैकेटों का वितरण किया है, कुल मिलाकर 2500 गर्म तैयार फूड पैकेटों का वितरण किया गया। संगठन द्वारा की गई यह मदद का सही मूल्य इस कठिन समय में महसूस किया है जब कोई व्यक्ति केवल एक किलोग्राम चावल के लिए हाथ फैलाने के लिए मजबूर है, ऐसी परिस्थिति कोरोना महामारी के संकट काल में हमारे सामने आई।

राज्य कार्यालय, दिल्ली के अंतर्गत दो संस्थाओं- स्वातिक ग्रामोद्योग समिति और जनता ग्रामोद्योग ने आसपास के ग्रामीणों को राशन पैकेट का वितरित किए। इस राशन किट में पाँच किलोग्राम चावल, दो किलोग्राम दाल, खाना पकाने के लिए तेल का पैकेट, मसाले, साबुन आदि खादी कारीगरों को उपलब्ध कराये गये। एक और खादी संस्था, केंद्रीय खादी ग्रामोदय ने सार्वजनिक और स्थानीय प्रशासन को फेस मास्क, दवाई किट, सेनिटाजेशन किट वितरित किए।

लॉकडाउन 2.0 के दौरान, दूध पैकेट वितरण कार्यक्रम के तहत स्थानीय प्रशासन और एनजीओ की मदद से 1528 दूध के पैकेट वितरित किए गए। ऐसे श्रमिक जो निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे, ये श्रमिक और इनका परिवार ऐसी साइटों के पास झोपड़ियों पर निवास करते हैं और प्रतिदिन अर्जित मजदूरी उनके परिवारों को खिलाने के लिए उनके आजीविका का एकमात्र साधन है। लॉकडाउन लागू होने से उनके बच्चे दूध से वंचित हो गए। केवीआईसी के बैनर तले जरूरतमंदों की मदद करते समय दूध का पैकेट प्राप्त करने वाले बच्चों की मुस्कान पूरी तरह से एक मन की संतुष्टि प्रदान कर रही थी।

दिल्ली की खादी संस्थायें, स्थानीय प्रशासन को 1200 खादी मास्क वितरण करने के लिए आगे आयी। यह छोटा कार्य भी चुनौती रहा है, क्योंकि राज्य कार्यालय, दिल्ली

के सभी उत्पादन केंद्र, दिल्ली राज्य से बाहर हैं और मेरठ (यूपी) में कारीगर वेल्फेयर फण्ड ट्रस्ट के तहत अनुरक्षित हैं। चूंकि अंतरराज्यीय सीमाओं को आवागमन के लिए लॉकडाउन के दौरान सील कर दिया गया था, इसलिए दो खादी संस्थाओं ने अपने कारीगरों को तत्काल राहत के रूप में 1000/- रुपये की अग्रिम राशि जारी की।

लॉकडाउन में छूट और बदलते दिशा-निर्देशों के अनुसार गतिविधि को आसान बनाने के साथ, स्थानीय क्षेत्रों में उत्पादन/बिक्री गतिविधि शुरू करने के लिए पीएमईजीपी इकाइयां को आश्वस्त किया गया ताकि अनाज / मसाला / स्नैक्स / पापड़ और साबुन / सैनिटाइज़र नैपकिन जैसे आदि आवश्यक वस्तुओं की मांग को पूरा किया जा सके। इस प्रकार उनके परिश्रम से एक नई पीएमईजीपी इकाई, जो स्क्वायर नाम के ब्रांड से साबुन बनाती है, की बिक्री एक महीने में बढ़कर 5.00 लाख रुपये हो गई।

युवा उद्यमी सुश्री महिमा डिसोरिया ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने पर्सनल हाइजीन प्रॉडक्स की मांग में बढ़ती वृद्धि को पूरा करने के लिए 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि की ऋण प्राप्त करने हेतु जानकारी ली। उन्हें इस तरह की योजना के लिए सिडबी अधिकारियों से ऑनलाइन संपर्क करने के लिए निर्देशित किया गया। एक अन्य पीएमईजीपी उद्यमी श्री राज खन्ना ने भी जानकारी दी कि स्थानीय रूप से निर्मित खादी मास्क की बिक्री 2.00 लाख रुपये को पार कर गयी।

इन इकाइयों की सफलता की कहानियां अपने आप में बयां कर रही है कि केवीआईसी की योजनाएं अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं क्योंकि लॉकडाउन अवधि के दौरान खादी और पीएमईजीपी इकाइयों ने निरंतर वस्तुओं की आपूर्ति को जारी रखने, स्थानीय विकास, स्थानीय उपभोग के साथ स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपनी स्थापना के उद्देश्य को सार्थक किया है। नई पीढी के भावी उद्यमियों को अनुसरण करने के लिए आत्म निर्भरता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

जम्मू और कश्मीर

राज्य कार्यालय, जम्मू

कोविड-19 महामारी के कारण जहां पूरी व्यवस्था स्थिर बनी हुई है, ऐसे समय में आयोग के जम्मू कार्यालय द्वारा गरीबों को खाना खिलाने और असहाय श्रमिकों को सहायता पहुंचाने का चुनौती पूर्ण कार्य किया गया। जम्मू कार्यालय द्वारा खादी मास्क, फूड /दूध के पैकेट, खादी मास्क, राशन/अनाज, सामाग्री किट इत्यादि के वितरण के अलावा खादी मास्क तैयार करने का कार्य, एमडीए एवं आइसेक दावों का निष्पादन, कारीगर वेल्फेयर फण्ड ट्रस्ट से खादी कारीगरों हेतु राहत राशि जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य किये गये।

जम्मू और कश्मीर केन्द्रशासित क्षेत्र ने 7.50 लाख खादी मास्क का निर्माण किया, जिसकी कीमत 143.73 लाख रुपये है। 15 मई, 2020 तक 5.50 लाख खादी मास्क तैयार किए गये और विनिर्देशन के अनुसार केन्द्रशासित क्षेत्र के संबंधित उपायुक्त कार्यालयों को आपूर्ति किए गए हैं और इन खादी मास्क को बनाने में लगे 300 कारीगरों को मजदूरी दी जा रही है।

केन्द्रशासित क्षेत्र के बाहर रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों के बीच 29.03.2020 से 02.04.2020 तक 2550 खाद्य पैकेट वितरित किए गए।

प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को 18 अप्रैल, 2020 से 21 अप्रैल, 2020 तक अमूल दूध के 500 मिली टेट्रा पैक के 1512 पैकेट वितरित किए गए।

जम्मू और कश्मीर के खादी संस्थाओं और सिलाई केंद्र, नगरोटा ने जम्मू और कश्मीर के केन्द्रशासित क्षेत्र कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों में विभिन्न उपायुक्तों, गैर सरकारी संगठनों, नगर पालिका कार्यकर्ताओं, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा कर्मचारियों और अर्ध सैनिक बलों को अब तक 18,500 खादी मास्क वितरित किए।

आयोग के जम्मू कार्यालय ने 85 खादी संस्थाओं के 8000 से अधिक कारीगरों को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2016-17 के लिए 965.72 लाख रुपये की राशि के एमडीए दावों पर कार्रवाई की। कार्यालय ने वर्ष 2019-20 के लिए 31 खादी

जम्मू और कश्मीर

संस्थाओं के 25.00 लाख रुपये के आईसेक दावों पर कार्रवाई की।

32 खादी संस्थाओं ने 8,90,000 रुपये की राशि कारीगर वेल्फेयर फण्ड ट्रस्ट में जमा की जो 890 कारीगरों को प्रति कारीगर 1000 रुपये के दर से राहत सहायता के रुप में प्रदान की गयी और यह प्रक्रिया आगे भी जारी है।

कोरोना वायरस (कोविड -19) के फैलने के कारण राष्ट्रव्यापी लोकडाउन के बावजूद, आयोग के राज्य कार्यालय, जम्मू और कश्मीर ने पहल की और जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और जरुरतमंद लोगों के लिए राहत कार्य शुरू किए। राहत कार्य शुरू करने से पूर्व केवीआईसी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य निदेशक प्रभारी अपने कार्यालयीन कार्य का प्रबंधन करते रहे। इस बीच अधिक संख्या में कर्मचारी कार्यालय में शामिल हुए, कार्यालय सभी समस्याओं का सामना करने के बावजूद सभी कार्यों को सफतलापूर्वक करता रहा।

इन सभी प्रक्रियाओं में, सिलाई केंद्र, नगरोटा में काम करने वाली महिलाओं की सेवाएं भी ली गईं और उन्होंने खादी मास्क का निर्माण भी शुरू कर दिया और इस वजह से वे लॉकडाउन के बावजूद अपनी आजीविका कमाने में सक्षम रही। 150 महिला कारीगरों को उनके द्वार पर रोजगार दिया गया।

लॉकडाउन अवधि के दौरान पीएमईजीपी के 441 आवेदन अपलोड किए गए और 735 इकाइयों ने 5145 (735 स्वरोजगार और 4410 आंशिक रोजगार) व्यक्तियों को रोजगार दिया जिसके लिए 1443.19 लाख रू. की मार्जिन मनी संवितरित की गयी । स्व सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से जम्मू और कश्मीर के विभिन्न भागों के कई स्थानों पर प्रतिदिन 500 जरूरतमंद लोगों को फूड पैकेट तैयार कर वितरित किए गए।

इस प्रकार स्थानीय पुलिस की मदद से नगरोटा-कठुआ, जम्मू-दिल्ली के राजमार्गों मे फसे प्रवासी श्रमिकों तथा झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन के पैकेट वितरित किए गए।

वहाँ पर बूढ़ी औरतें, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे इत्यादि सभी भूख से परेशान थे। उन्हें भोजन देने और भोजन से तृप्त होने के पश्चात उनके चेहरे पर संतुष्टि देखने लायक थी।

राज्य कार्यालय, जयपुर

युगों में आने वाले इस तरह के विश्वव्यापी आपातकाल, कोविड-19 की भयावह स्थिति से दो-दो हाथ करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार, राजस्थान प्रदेश ने आरंभकाल से ही अपनी योजना तैयार कर की । जब कोविड-19 की आधिकारिक पहचान विश्व में हुई, तभी से राजस्थान में विगत साल के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की तथा लगातर इसका अनुपालन करते हुए सफलता की तरफ बढ़ना आरंभ किया।

आयोग के कार्यों की प्राथमिकता को सुनिश्चित किया तथा परिस्थितिनुकूल जरूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दायित्व वितरित किये गये । इस संबंध में विचार कर यह तय किया गया कि आयोग की अधिकांशः गतिविधियॉं/योजनायें ग्रामीण इलाके से संबंधित है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने सभी को कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया एवं सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, सैनेटाईजेशन को अपनाते हुए कार्य करते रहने पर बल दिया । फलतः आयोग की प्रायः सभी संस्थाओं/इकाईयों में कोई-ना-कोई उत्पादन जारी रहा । राजस्थान प्रदेश में यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार की सुदृढ़ कार्ययोजना का ही परिणाम है कि एक ही खादी संस्था ने कोविड-19 के काल में रिकॉर्ड 90 लाख रूपये का उत्पादन किया तथा 10 लाख रूपये की मजदूरी कतिन-बुनकरों को भुगतान किया।

आयोग ने राजस्थान में "कामगार कल्याण कोष, जयपुर" से कामगारों को सहायता राशि के रू 40.00 लाख से भी अधिक की राशि वितरित कर लॉकडाउन की अवधि में राहत प्रदान की।

आयोग ने हनी-मिशन के तहत वितरित किये गये हनी बॉक्स धारक लोगों को भी पूर्ण संरक्षण एवं मार्गदर्शन किया। चूंकि, इस समय राजस्थान में फलोरा की कमी होने लगी थी, लिहाजा मधुमक्खियों को दूसरे स्थान पर ले जाना जरूरी था। इसके अलावा कुछ लोग मधुमक्खियों को दूसरे स्थान पर ले गये, किन्तु लॉकडाउन के कारण शहद नहीं निकालने के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे । आयोग ने स्थानीय प्रशासन की मदद से इस तरह के सभी मधुमक्खीपालकों को शहद निकालने तथा मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद कर गन्तव्य तक पहुंचाया, जिस कारण मधुमक्खी पालन व्यवसाय में नुकसान नहीं हुआ तथा कारोबार निरन्तर जारी रहा।

इसके अतिरिक्त गर्मी का मौसम सामने होने के कारण मिट्टी के मटकों आदि को तैयार करने का भी यहीं समय था। आयोग ने कुम्हारी कारोबार में लगे हुए लोगों को सुरक्षा-सावधानी रखते हुए कार्य जारी रखने के लिए निरन्तर प्रेरित किया तथा मटकों पर होने वाले रंग-रोगन के माध्यम से कोरोना जागृति संदेश देने का भी प्रयास किया गया।

कोविड-19 के समय में राजस्थान प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार की कार्ययोजना एवं अर्जित सफलताओं का विवरण इस प्रकार है -

खादी फेस मास्क वितरण

आयोग ने विभिन्न खादी संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मियों आदि को लगभग 100000 से अधिक खादी से निर्मित फेसमास्क निःशुल्क वितरित किये, जोकि जनसेवा का एक रिकॉर्ड है।

फूड पैकेट वितरण

कोविड-19 में हुए लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को भूख से बचाने के लिए ताजा तैयार भोजन के पैकेटस बंटवाये। इस प्रकार लगभग 10000 पैकेट का वितरण किया गया, जिससे काफी लोगों को राहत प्राप्त हुई।

दूध पैकेट वितरण

लॉकडाउन के समय घरों में बीमार तथा बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसे महसूस किया गया तथा दो-तीन दिनों तक लगभग 3000 से भी अधिक जरूरतमंद लोगों को दूध वितरण करवाया गया।

खाद्य सामग्री वितरण

आकस्मिक लॉकडाउन के कारण भोजन सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाने वाले गरीब-जरूरतमंद लोगों तथा कतिनों व बुनकरों को खाद्य सामग्री यथा - आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले आदि खादी संस्थाओं व अन्य इकाईयों के सहयोग से घर-घर जाकर उपलब्ध करवाये गये।

सैनेटाईजर / साबुन वितरण

कोविड-19 के दौरान सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा

बतायी गयी सावधानी के अनुसार लोगों को सैनेटाईजर तथा साबुन आदि आवश्यक वस्तु के रूप में हो गयी। किन्तु आर्थिक हालात एवं उपलब्धता की समस्या के निदान के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लगभग 3000 लोगों को सैनेटाईजर तथा साबुन निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये।

दीपक/दीप वितरण

भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना योद्धाओं के उत्साहवर्धन के लिए 41000 दीपक निःशुल्क वितरित किऐ गये, जिसमें पोटरी मिशन के लाभान्वितों ने बहुत ही बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को निःशुल्क दीपक वितरित किये गये।

पीएम केयर फण्ड दान

राजस्थान राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार से संबद्ध संस्थाओं आदि ने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित पीएम केयर फण्ड में भी दान करने में पहल की तथा 42000/- रुपये से भी अधिक नकद राशि इसमें जमा करवायी।

अन्य सामग्री वितरण

उक्त के अलावा समय की आवश्कताओं के कारण एवं लोगों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मधुमक्खीपालकों को प्रोत्साहित कर निःशुल्क शहद के पाउच वितरित करवाये गये तथा लोगों की तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए तोलिया, गमछा, दवाईयां, आदि भी वितरित की गयी। जिससे लोगों को बहुत अधिक ढ़ाढ़स बंधा एवं इस महामारी से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त हुई।

बीकानेर खादी संस्था ने मण्डलीय कार्यालय, बीकानेर के अधिकार क्षेत्र के तहत कोविड राहत कोष में 21000 रुपये दान स्वरूप दिये। कताई केंद्र समग्र लोक विकास संघ, जयमलसर, बीकानेर में कतिनों को मुफ्त मास्क और नीम साबुन वितरित किए। केवीआईसी मधुमक्खी पालक अर्थात श्री दीन दयाल कराडसू ग्राम, जिला कुल्लु के द्वारा ग्रामीणों को 500 मास्क और 100 सैनेटाइज़र वितरित किए गए।

इस प्रकार राजस्थान प्रदेश में शासन-प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के साथ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों की सांझी मुहिम के अत्यन्त सकारात्मक एवं उत्साहजनक परिणाम रहे।

पूर्व क्षेत्र

जरूरतमंदों की मदद करने हेतु पूर्वी क्षेत्र द्वारा किए गये सभी प्रयास

बिहार

राज्य कार्यालय, पटना :-

राज्य कार्यालय, पटना ने अपने सामाजिक उद्देश्यों का अनुपालन करते हुए अपने क्षेत्र के जरुरतमंद लोगों की सहायता के लिए सम्पूर्ण भरसक प्रयास किए।

क्षेत्र की खादी संस्थाओं ने खादी के मास्क बनाए और इसे अपने जिले के जिला प्रशासन को प्रदान किया। इस अवसर पर जरूरतमंद, असहाय लोगों और उनके बच्चों के लिए लगातार भोजन, अनाज, नकद राशि और दूध, बिस्कुट लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्य कार्यालय, केवीआईसी, पटना ने स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन और पटना (बिहार) के रूपस पुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के साथ बिहार के प्रवासी मजदूरों के बीच 2500 फूड पैकेट वितरित किए।

राज्य कार्यालय, पटना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली खादी संस्थाओं और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों ने भी जरूरतमंद गरीब प्रवासी मजदूरों और खादी कत्तिनों और बुनकरों के मध्य लगभग 26000 फेस मास्क, 2150 राशन पैकेट (आटा, चावल, दाल, तेल आदि), 2560 साबुन/सैनिटाइज़र और 314 गमछे वितरित किए। राज्य कार्यालय, पटना ने मुफ्त वितरण के लिए जिला प्रशासन, खगरिया को 1000 मास्क और 1000 साबुन दिये। जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक और सरकारी विभागों के सहयोग के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की।

इनके अलावा, कारीगर कल्याण निधि ट्रस्ट, बिहार के माध्यम से राज्य के 1064 खादी कारीगरों के बीच 10.92 लाख रुपये वितरित किए। खादी संस्थाओं ने भी 1.80 लाख रुपये सीधे राज्य के 152 खादी कारीगरों के खाते में हस्तांतरित किए।

पश्चिम बंगाल

राज्य कार्यालय कोलकाता :-

कोविड महामारी संकट में पड़े लोगों की मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्य कार्यालय, कोलकाता और खादी संस्थाओं द्वारा पहल शुरू की गई । कुछ प्रयासों को यहां निम्नानुसार अभिव्यक्त किया गया है: -

21.04.2020 से 22.04.2020 के दौरान कोलकाता के कुमारटोली, शोबाबाजार के पारंपरिक रूप मे मिट्टी के मूर्ति बनाने वाले मजदूरों के बच्चों के बीच तथा जनबाजार क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों/ दैनिक वेतन भोगियों के बच्चों के बीच 1000 दूध के पैकेटों (500 मिली.) का वितरण किया गया है। कोलकाता नगर निगम के वार्डों के काउंसलरों ने भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। इसके अलावा, झारग्राम खादी और ग्रामोद्योग संघ के सहयोग से आयोग ने झारग्राम में 21.04.2020 से 22.04.2020 के दौरान आनंदपल्ली, भौदी, कलसीडांगा, दैनेमरी, धडकीडांगा के आदिवासी बच्चों को दूध के 500(500 मिली) पैकेट वितरित किए। खादी संस्था ने आयोग के साथ दूध वितरण के साथ बच्चों को बिस्कुट, ब्रेड वितरित किए। संस्था ने 27.04.2020 को झाड़ग्राम के गोपीबल्लपुर में बच्चों को बिस्कुट, ब्रेड और रूमाल के साथ अतिरिक्त 250 दूध के पैकेट भी वितरित किए।

राज्य में लगभग 68 खादी संस्थाओं ने कारीगरों, आदिवासी लोगों के परिवारों को 2115 राशन के पैकेट वितरित किए। इन राशन पैकेट में चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, साबुन, टिफिन आदि जैसी अन्य वस्तुएं शामिल थी।

पश्चिम बंगाल में खादी संस्थाएं भी खादी फेस मास्क वितरित करने के लिए आगे आयी। कुल 184 खादी संस्थाओं ने मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया, हुगली, पुरलिया और झारग्राम जिलों में 8775 फेस मास्क वितरित किए । खादी संस्थाओं की ओर से स्वेच्छा से मास्क वितरित किए गए।

खादी संस्थाओं ने तत्काल राहत के रूप में डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक कारीगर के खाते में 1000/- रुपये हस्तांतरित करने का प्रयास किया। अप्रैल, 2020 से अब तक संस्थाओं द्वारा सीधे 13102 कारीगरों के खातों में 1,29,52,444/- रु. की राशि जारी की गई और कारीगर कल्याण निधि कोष से 3403 कारीगरों को 32,33,400/- धनराशि जारी की गई। तथापि अप्रैल, 2020 के लिए 16505 कारीगरों के खातों में 161,85,844/- रु. की राशि जारी की। तदन्तर में मई 2020 के लिए 32,33,400/- रु. की राशि 3312 कारीगरों को जारी की गई। लॉकडाउन में ढील देने के बाद, अप्रैल और मई, 20 के बाद से अब तक 138 खादी संस्थाओं ने अपनी गतिविधियां को पुनः शुरू कर दी हैं।

झारखण्ड

राज्य कार्यालय, रांची :-

झारखण्ड राज्य के अधिकतम जिले अतिवादी व चरमपंथ प्रभावित हैं और सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं, राज्य कार्यालय रांची ने जिलों में, जैसाकि नीति आयोग द्वारा परिभाषित 'ग्रामोदय विकास योजना' और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 100 दिन के ग्रामीण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त किया। कोविड-19 के कारण इस लॉकडाउन स्थिति के दौरान राज्य कार्यालय, रांची ने नियमित रूप से फोन कॉल, व्हाट्सएप संदेश, ई-मेल आदि के माध्यम से खादी संस्थाओं और स्फूर्ति इकाइयों को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 खादी संस्थाओं के कारीगरों और बुनकरों को कारीगर कल्याण कोष से प्रति माह 1000 /-रु. पहले ही भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा, कई खादी संस्थाएं सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ जरुरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आयी। अब तक, जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित करने के लिए लगभग 39000 खादी फेस मास्क जिला प्रशासन को सौपे गये और जिनमें से कुछ फेस मास्क सीधे ही खादी संस्थाओं द्वारा स्वयं वितरित किए गए। खादी संस्थाओं द्वारा खाद्य/राशन पैकेट, पका हुआ भोजन, हाथ धोने का साबुन केक आदि भी वितरित किए गए।

इसके अलावा, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कई पीएमईजीपी इकाईयां ने भी इन संकट के दिनों में आवश्यक के अनुसार अपने गतिविधियां चालू रखी। राज्य की गुणवत्ता वाले फेस मास्क, बेड शीट और पीपीई किट आदि के बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए और खादी क्षेत्र के प्रभाव को साबित करने के लिए कोविड -19 के प्रकोप की स्थिति को एक अवसर के रूप में लिया गया।

उड़ीसा

राज्य कार्यालय, भुवनेश्वर:-

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, उड़ीसा ने राज्य कार्यालय के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को तैयार फूड पैकेट और गरीब बच्चों को दूध, चावल और दाल सहित राशन खाद्य किट वितरित किए। राज्य कार्यालय, भुवनेश्वर ने कटक नगर निगम (सीएमसी) द्वारा चिह्नित गरीब जरूरतमंद लोगों को फूड पैकेट (पूरी और सब्जी) वितरित किए। राज्य कार्यालय ने कटक नगर निगम के अधिकारी से शहर के नगरपालिका क्षेत्र में फसे भूखे प्रवासी श्रमिकों के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अनुसार राज्य कार्यालय ने 5 दिनों की अवधि तक हर एक जरूरतमंद को इन फूड पैकेटों (पूरी और सब्जी) का वितरण किया। भुवनेश्वर नगर निगम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) क्षेत्र में तीन वैकल्पिक दिनों में, गरीब बच्चों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए प्रत्येक को 500 मिलीलीटर के 1500 दूध के पैकेट वितरित किए। इसके अलावा, बालासोर और मयूरभंज जिलों में गरीब लोगों को राशन किट (चावल, दाल और आलू) वितरित किए। इसके लिए राज्य मंत्री (एमएसएमई), भारत सरकार के कार्यालय द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों की पहचान की गई। ये लोग प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार की ओर से मुफ्त राशन और अन्य लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

इसके अतिरिक्त अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ में 3 महीने के लिए 1000/- रुपये की सहायता राशि खादी संस्थाओं के कारीगरों को प्रदान की गयी। अप्रैल, 2020 में, उड़ीसा के कामगार कल्याण कोष से कारीगरों को 1000/-रु. जारी किए गये। चूंकि लॉकडाउन के कारण, कार्यालय में कुछ कर्मचारी ही उपस्थित रहते थे और न तो खादी संस्था के प्रतिनिधि राज्य कार्यालय का दौरा कर सकते थे और न ही राज्य कार्यालय के अधिकारी संस्थाओं का दौरा कर सकते थे। फिर भी, राज्य कार्यालय और संस्थाओं के मध्य व्हाट्सएप के माध्यम से निरंतर संपर्क बनाए रखा गया। खादी संस्थाओं को इस कार्य के लिए निरंतर प्रेरित किया जाता रहा। पूरे भरसक प्रयासों से राज्य के लगभग सभी खादी संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से राहत सामग्री और खादी फेस मास्क इत्यादि वितरित करके गांवों के कारीगरों और गरीब लोगों की मदद की गयी। इन गतिविधियों का विवरण भेजकर व्हाट्सएप समूह में सभी उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी की रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे।

गरीब लोगों को वितरण करने के लिए खादी संस्थाओं ने जिला कलेक्टर, बीडीओ, सरपंचों को 17,346 खादी फेस मास्क दान स्वरूप भेंट किये। इसके अलावा कई संस्थाओं ने जैसे राशन/अनाज की वस्तुएं, पका हुआ भोजन, सैनिटाइजर/ साबुन आदि वितरित किए। राज्य में संस्थाओं ने पीएम केयर फंड/ मुख्यमंत्री राहत कोष में 35202/- रूपये दान स्वरूप प्रदान किए।

मध्य क्षेत्र

जरूरत में मदद करना दान नहीं बल्कि मानवता है

छत्तीसगढ़

राज्य कार्यालय, रायपुर

करोना महामारी संकट के दौरान लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरी बंद होने की दशा में लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति निर्मित हो गयी और स्वाभिमान से चरखा कातकर अपना जीवन यापन करने वाले कत्तिनों, बुनकरों एवं कारीगरों को इस समस्या के समाधान हेतु कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, आयोग के राज्य कार्यालय, रायपुर द्वारा जरुरतमंद लोगों को राशन खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, इसमें सभी संस्थाओं ने मिलकर अपनी भागीदारी निभाई । खादी संस्थाओं की यह पहल निश्चित तौर पर उनके सम्मान की रक्षा एवं उनकी पहली आवश्कताओं को चिन्हांकित करते हुए, उन्हें मदद उपलब्ध करायी गयी। खाद्य सामग्री वितरण में कई संस्थाओं ने फूड पैकेटों का वितरण भी किया, वहीं कई संस्थाओं ने राशन खाद्य सामग्री के साथ आवश्यक सब्जियां और दाल, चावल, आटा, तेल, आलू, प्याज, हरी सब्जियों की किट बनाकर भी वितरित की।

प्रारंभिक स्तर पर लॉकडाउन की स्थिति में फसे मजदूरों, गरीब परिवारों और अकेले निवासरत बुजुर्गों को तैयार भोजन के पैकेट वितरित किए गए। खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम में संस्थाओं द्वारा अपने उत्पादन केन्द्रों में कार्यरत कत्तिन, बनकरों के अलावा आसपास के ग्रामीण एवं असहाय और मजदूरवर्ग के लोगों को भी शामिल किया गया। खाद्य सामग्री वितरण से लोगों ने अपनी सबसे बड़ी भोजन की समस्या का समाधान पाकर वितरण करने वाली संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस आर्शीवाद एवं शुभकामनाओं के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी संस्थाओं ने संकट के इस दौर में मिलकर मजबूती के साथ खड़े होकर आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहरायी।

कुम्हारों को दीप विक्रय करने हेतु सहयोग :-

कुम्हार कारीगरों को लॉकडाउन के समय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें आय अर्जन करने हेतु आयोग द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत वितरित किए गए विद्युत चाक के माध्यम से दिया बनाकर बेचने हेतु प्रोत्साहित किया गया, जिससे उनके एवं उनके परिवार को उचित आय प्राप्त हो सके। जिसके कारण उन्हें छत्तीसगढ प्रदेश में अच्छा प्रतिसाद मिला और कुम्हारों द्वारा कुल 55948 दीपों का विक्रय किया गया जिसकी कुल कीमत 1,12,000/- रुपये कुम्हारों को प्राप्त हुई।

कारीगर कल्याण कोष से सहायता :-

कारीगर कल्याण कोष से प्रति कत्तिन 1,000/- रुपए एवं प्रति बुनकर 1,500.00 रुपए प्रति माह मार्च, 2020 से जून, 2020 तक राहत राशि तौर पर भुगतान किया गया, ताकि विपदा की इस घड़ी में उन्हें कुछ राहत मिल सके। कारीगर कल्याण कोष एवं पेंशन ट्रस्ट से संस्थाओं में कार्यरत कुल 1758 कत्तिनों एवं बुनकरों को 59,59,000.00 रुपए का भुगतान किया गया। मार्च, 2020 से जून, 2020 तक कुल 1301 कत्तिनों को 39,03,000.00 रुपए एवं 457 बुनकरों को कुल 20,56,000.00 रुपए की राशि का भुगतान किया गया, इस राहत राशि से कत्तिनों एवं बुनकरों को जीवनयापन करने में सुगमता हुई एवं उनका विश्वास खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रति दृढ़ हुआ।

उक्त के अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान निम्नानुसार कार्य किया गया:-

- खादी संस्थाओं को वर्ष 2019-20 के स्टॉक जाँच करने हेतु दिनांक 20 अप्रैल, 2020 तक छूट प्रदान किए जाने संबंधी पत्र जारी किया गया।
- कत्तिनों-बुनकरों को एमएमडी से 30 प्रतिशत इंसेंटिव की राशि को बढ़ाकर 45 प्रतिशत भुगतान करने संबंधी पत्र जारी किया गया।
- खादी संस्थाओं को यह अवगत कराया गया कि केन्द्रीय पूनी संयंत्र से बिना मार्जिन मनी जमा किए कच्चा माल का क्रय किया जा सकता है।
- खादी संस्थाओं में कार्यरत ऐसे कत्तिन एवं बुनकर, जो

कर्मचारी भविष्य निधि योजनांतर्गत समाहित है, की सूची उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया।

- खादी संस्थाओं को पत्र लिखकर यह अवगत कराया गया कि तीसरी तिमाही से एमएमडीए क्लेम के लिए स्कोरकार्ड की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की गयी है, इसलिए आप अपना एमएमडीए क्लेम ऑनलाईन अपलोड कर सकते हैं।
- खादी संस्थाओं को यह भी निर्देशित किया गया कि अस्पतालों में पर्दे, चादर, तकिया कवर, तौलिया, फेस मास्क की आपूर्ति हेतु भी प्रयास किया जाए और इनके आर्डर प्राप्त कर आपूर्ति सुनिश्चित करें।
- राज्य कार्यालय, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील किया गया कि वे आयोग द्वारा संचालित "ग्रामोदय कोष" में एक दिन के वेतन के अतिरिक्त स्वेच्छा से अपने वेतन का कुछ भाग अथवा पूर्ण वेतन का योगदान करें।

मध्य प्रदेश

राज्य कार्यालय, भोपाल

कारीगर कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2020 में सभी कारीगरों, कत्तिन/बुनकरों के खाते में 1,000.00 रूपये तीन माह तक भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ, विपरीत परिस्थिति के बाद भी आदेश का पालन करते हुए संस्थाओं द्वारा सभी कारीगरों, कत्तिन/बुनकरों खाते में 6,08,000.00 रूपये की राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भोपाल के अन्तर्गत कार्यरत मध्य प्रदेश की संस्थाओं के सहयोग से विषम परिस्थिति में आगे आकर अपने अधीनस्थ कारीगरों एवं अपने-अपने क्षेत्र में जरुरत मंदों लोगों को राशन सामग्री, उनके क्षेत्र में जाकर मुहैया करायी गयी, इसके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से भोजन एवं दुग्ध के पैकेट भी वितरित किये,

लॉकडाउन के दौरान भोपाल जोकि रेड जोन के तहत रहा है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी राज्य कार्यालय, भोपाल के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत खादी संस्थाओं एवं मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के सकारात्मक सहयोग से कारीगरों, कत्तिन/ बुनकरों एवं जरूरतमंद लोगों को 28690 फेस मास्क, 3248 फूड पैकेट, 1971 दूध के पैकेट एवं 3 लीटर सैनिटाइजर, 3248 साबुन केक वितरित किए।

कोविड-19 संकट की इस विपरीत परिस्थिति में मध्य प्रदेश की खादी संस्थाओं/ मध्य प्रदेश खादी बोर्ड/ स्फूर्ति क्लस्टर द्वारा किया गया कार्य एक सराहनीय कदम है।

उत्तर प्रदेश

राज्य कार्यालय, लखनऊ

कोविड-19 के कारण इस लॉकडाउन की स्थिति के दौरान, राज्य कार्यालय, लखनऊ ने खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं को नियमित रूप से फोन कॉल, व्हाट्सएप संदेश, ई-मेल के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप कारीगर कल्याण कोष से प्रति माह 1000/- रुपये की धनराशि कारीगरों, कत्तिनों और बुनकरों के खातों में हस्तांतरित की गयी, इसके अलावा अतिरिक्त मदद के रूप में 10 खादी संस्थाओं ने पहले ही भुगतान किया गया। इसके अलावा, खादी संस्थाओं को सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ काम करने के लिए कहा गया।

अब तक, राज्य कार्यालय, लखनऊ के तहत कम से कम 17500 खादी फेस मास्क जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त वितरण करने हेतु जिला प्रशासन को दिए गए, जिनमें से कुछ फेस मास्क सीधे खादी संस्थाओं द्वारा स्वयं वितरित किए गए। खादी संस्थाओं द्वारा राशन/खाद्य अनाज के पैकेट, तैयार फूड पैकेट, हाथ धोने का साबुन आदि भी वितरित किए गए।

राज्य के गुणवत्ता वाले फेस मास्क, बेड शीट और पीपीई किट आदि के निर्माण का पता लगाने के लिए खादी सेक्टर को साबित करने के लिए कोविड -19 के प्रकोप की स्थिति को एक चुनौती के रूप में लिया गया।

आवश्यकता के आधार पर, अब तक खादी संस्थाओं, पीएमईजीपी इकाइयों और स्फूर्ति क्लस्टरों द्वारा 17,500 फेस मास्क, 1,750 रेडीमेड लंच पैकेट, 30,00 सैनिटाइज़र / साबुन, प्रति दिन 100 पैकेट कच्चा राशन, अनाज आदि वितरित किए गए। इसके अलावा, खादी संस्थाओं ने 10.00 लाख रुपये की राशि प्रधान मंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा

की।

राज्य कार्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अप्रैल, 2020 से ग्रामोदय कोष में 01 दिन के वेतन कटौती में योगदान करने के लिए अपनी सहमति दी।

गोरखपुर

विभागीय कार्यालय, गोरखपुर

आवश्यकता के आधार पर, आयोग के विभागीय कार्यालय, गोरखपुर ने खादी संस्थाओं, स्फूर्ति क्लस्टरों, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम / प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों की मदद से खादी मास्क, पका हुआ भोजन और आवश्यक राशन सामाग्री, सेनिटाइज़र और साबुन आदि वितरित किए और साथ ही असहाय प्रवासियों, जरूरतमंद व्यक्तियों और संस्थाओं में काम करने वाले कारीगरों की भी मदद की, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

इसके परिणामस्वरूप, जिले के आसपास के क्षेत्रों में खादी संस्थाओं द्वारा 22420 खादी मास्क और 8295 साबुन वितरित किए गए, उपरोक्त सामग्रियों के सार्वजनिक वितरण के अलावा, खादी संस्थाओं द्वारा अपने कतिनों और बुनकरों को और क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों जैसे पुलिस प्रशासन के अधिकारी/ कर्मचारी जो ड्यूटी पर तैनात हैं, सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव इत्यादि के लिए खादी मास्क वितरित किए गए।

विश्वनाथ खादी ग्रामोद्योग विकास संस्था, आज़मगढ़ ने सबसे अधिक 1200 खादी मास्क वितरित किए । इसके अलावा खादी संस्थाओं द्वारा जरूरतमंद, असहाय लोगों को 605 गमछे/तौलिए, 5800 टिशू पेपर, 4300 खाने के पैकेट, 1130 राशन (अनाजसामाग्री) के पैकेट, 300 खादी बैग, 1 बोरी मुरमुरा (लाई) के साथ साथ बच्चों को 500 ग्राम दूध के 1300 पैकेट वितरित किए गये।

इसके अलावा, सामाजिक उत्थान सेवा समिति, आज़मगढ़ और एक पीएमजीपी इकाई, सुश्री श्री श्याम इंडस्ट्रीज, बहराइच ने क्रमशः 2.00 लाख रु. और 51000.00 रु. प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा किए।

विभागीय कार्यालय, गोरखपुर के कर्मचारियों/ अधिकारियों ने अप्रैल 2020 में अपना 01 दिन का वेतन ग्रामोदय कोष में देने की सहमति जतायी।

मेरठ

मण्डलीय कार्यालय, मेरठ

आयोग के मण्डलीय कार्यालय, मेरठ के तहत खादी संस्थाओं ने खादी वस्त्र से तैयार मास्क अपने अपने जनपद के जिला अधिकारी महोदय को उपलब्ध कराये। कोरोना महामारी संकट में लॉकडाउन के दौरान आयोग के मण्डलीय कार्यालय द्वारा क्षेत्र की सभी खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं को लोगों की सहायता एवं जरूरत मंदो को लगातार भोजन, राशन सामग्री व बच्चो को दूध, बिस्कुट आदि वितरित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

जिसके फलस्वरूप अभी तक सभी संस्थाओं द्वारा 76939 मास्क तथा 400 साबुन जनपदों के जिला अधिकारियों को प्राप्त करवाये गये, संस्थाओं द्वारा जिसे जिला प्रशासन की मदद से क्षेत्र के जरूरत मंद लोगों को एवं डयूटी पर तैनात पुलिस प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डाक्टर व नर्स, समाज सेवा से जुड़े लोगों के अलावा खादी संस्थाओं के कत्तिन व बुनकरों को भी सुरक्षा की दृष्टि से मास्क उपलब्ध कराये गये तथा इसके साथ ही मण्डलीय कार्यालय द्वारा खादी कारीगरों को 150 गमछा/तौलिया, 200 रूमाल, 1480 भोजन पैकेट , 565 खाद्य राशन सामग्री पैकेट एवं100000/- रूपये की नकद राशि कामगारों को वितरित की गई और उनके बच्चों को 500 ग्राम दूध के 1100 पैकेट, 500 पैकेट बिस्किट उपलब्ध कराये गये। मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से प्रधान मंत्री राहत कोष में 31000/- रुपये जमा कराये गये, जिसकी प्रगति में निरन्तर प्रतिदिन वृद्वि जारी है।

पी.एम.ई.जी.पी. उद्यमियों से लगातार सम्पर्क कर उन्हें भी अपने स्तर से जरूरतमंद लोगों को सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित किया गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 500 पैकेट सर्फ (500ग्राम प्रति पैकट), 250 सैनिटाइजर, 250 मास्क एवं 50 पैकेट आटा (10 किलोग्राम प्रति पैकट), 90 किलोग्राम शहद वितरित किया गया तथा प्रधान मन्त्री राहत कोष में 11000/- रूपये जमा कराये गये।

मण्डलीय कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी वर्ग में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। इसी क्रम में कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा 01 दिन से 05 दिनों तक वेतन कटौती कर ग्रामोदय कोष में भेजने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई, जिसके अनुसार कुल 1,04,788/- रूपये की राशि अप्रैल 2020 माह से कटौती कर भेजी गई।

मण्डलीय कार्यालय, मेरठ के अन्तर्गत 25 जिले आते हैं, जिसके तहत 400 से अधिक खादी संस्थाएं कार्यरत हैं, सभी संस्थाओं से लगातार पत्राचार व सन्देशों का आदान प्रदान किया गया, इसके लिए खादी परिवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसके माध्यम से संस्थाओं से अपील कर इस संकट की घड़ी में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित किया गया ताकि योजना अनुसार जरूरत मंद लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचायी जा सके।

वाराणसी

मण्डलीय कार्यालय, वाराणसी

कोरोना महामारी संकट की इस घड़ी में लॉकडाउन अवधि के दौरान मण्डलीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा विशेष प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप क्षेत्र की खादी संस्थाओं ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। वाराणसी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगो को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 500 लंच पैकेट एवं 2500 नग जल पाउच निशुल्क वितरित कराये गये। संस्थाओं ने खादी वस्त्र द्वारा तैयार फेस मास्क अपने-अपने जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराये। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगो को लगातार भोजन हेतु राशन सामाग्री, नकद राशि व बच्चों को दूध आदि भी वितरित किया गया।

आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्र की खादी संस्थाओं के द्वारा अभी तक 47840 खादी मास्क, 915 गमछा, 80 तौलिया, 20 रूमाल, 1020 फूड पैकेट, 1197 सैनेटाइजर, 615 साबुन, 190 मोमबत्ती, 500 ग्राम दूध के 1260 पैकेट वितरित किये गये। इसके साथ ही कारीगर कल्याण कोष एवं पेंशन ट्रस्ट, वाराणसी के माध्यम से 716000.00 रूपये की नकद राशि 716 कामगारों के बैंक खातों में हस्तांतरित स्थानान्तरित की गयी। प्रधान मंत्री राहत कोष में खादी संस्थाओं द्वारा 11000.00 रुपये जमा कराया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वाराणसी को वाराणसी ट्रस्ट के द्वारा 100 मास्क आम लोगों को वितरित करने हेतु उपलब्ध कराये गये।

इसके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वाराणसी द्वारा कुपोषित, असहाय एवं निर्धन बच्चों के बीच 500 ग्राम दूध के 1500 पैकेट जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित कराये गये। पी.एम.ई.जी.पी. इकाईयों के उद्यमियों द्वारा भी जरूरतमंद लोगों के बीच 500 पैकेट चावल (05 किलोग्राम प्रति पैकेट) वितरित किये गये।

इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी वर्ग में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। इसी क्रम में कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 01 दिन की स्वैच्छिक वेतन कटौती कर ग्रामोदय कोष में भेजने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई।

उपरोक्त वस्तुओं के जन वितरण के अतिरिक्त गाजीपुर जिले की खादी संस्थाओं द्वारा जिले के सभी सरकारी कार्यालयों जैसे जिलाधिकारी, पुलिस अधिक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लोकल पुलिस स्टेशन, मुख्य डाकखाना, विभिन्न बैंक, एवं विभिन्न न्यूज एजेन्सी कार्यालयों आदि को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 1200 मास्क हस्तगत कराए गए। जिला अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आमजनों एवं सरकारी विभागों के सहयोग हेतु भूरि-भूरि प्रशंसा की।

जिला गाजीपुर क्षेत्र में के.आर.डी.पी. योजना के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से सचल ई-रिक्शा के माध्यम से प्रति मास्क मात्र 20 रुपये में 1088 खादी मास्क बिक्री किये गये। इस क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 3 दिनों तक 200 पैकेट्स (फल, बिस्किट एवं पानी) प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों को वितरित किये गये। वाराणसी की संस्था द्वारा 60 प्रवासी मजदूरों को भोजन उलब्ध कराया गया। वाराणसी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी एवं पुलिस कर्मियों को खादी मास्क एवं गमछे उपलब्ध कराये गये।

देहरादून

राज्य कार्यालय, देहरादून

आयोग के राज्य कार्यालय, देहरादून ने खादी संस्थाओं के सहयोग से हर संभव मदद पहुंचाने के उद्देश्य से, कोविड-19 पर सरकारी अधिसूचना आने के बाद से विभिन्न निवारक उपाय किए। राज्य कार्यालय ने खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं को नियमित रूप से फोन कॉल, व्हाट्सएप संदेश, ई-मेल के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिससे राज्य की खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा कतिनों, बुनकरों, जरूरतमंद और असहाय लोगों और प्रवासी श्रमिकों की मदद करने की पहल की जा सके।

कारीगर कल्याण कोष के तहत अप्रैल 2020 माह से तीन महीनों के लिए 1553 कारीगरों के खाते में प्रति कारीगर 1,000/-रुपये की राशि हस्तांतरित करने के निदेश दिया गया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 19,69,464.00 रुपये की राशि का आदेश स्थानांतरित किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के संकट के समय में आयोग के राज्य कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखंड राज्य की कुछ संस्थाएं आगे आयी और अपने अधीनस्थ कार्यरत कारीगरों और अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों को राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायीं।

राज्य कार्यालय, देहरादून ने राष्ट्रीय आपदा के इस घड़ी में, सभी खादी संस्थाओं, स्फूर्ति क्लस्टरों, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों से अपील की कि वे राष्ट्रीयता के धागे में बंधकर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आगे आएं। इस अभियान में सभी संस्थाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। न केवल स्वयं के संसाधनों के साथ, बल्कि सार्वजनिक समर्थन के साथ, सभी संस्थाओं द्वारा कई रचनात्मक कार्य किए गए जिसमें मास्क वितरण, खाद्य वितरण (तैयार भोजन और कच्चा राशन) कार्यक्रम और कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी शामिल थे।

उत्तर पूर्व क्षेत्र

कोविड -19 महामारी के नियंत्रण और इससे लड़ने में मानवीय भाव के रूप में उत्तर-पूर्व क्षेत्र द्वारा की गयी पहल

कोविड -19 महामारी का मुकाबला करने और इसको नियंत्रित करने में, भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र की खादी संस्थाएं, केवीआईसी परिवार के साथ प्रतिबद्धता के साथ शामिल हुई। आयोग के अध्यक्ष के स्पष्ट आह्वान ने केवीआईसी पदाधिकारियों, खादी संस्थाओं, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पीएमईजीपी और अन्य केवीआईसी समर्थित इकाइयों को समान रूप से प्रेरित किया, जो महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में अपने मानवीय प्रतिरूपों के साथ इस अभियान में आगे आये। यद्यपि सभी गतिविधियों और सहभागी कार्यों को विवरण में दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी संबंधित कुछ विशेष प्रमुखताओं को नीचे परिलक्षित किया गया है:-

असम राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड:

असम राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 20,000 खादी मास्क वितरित किये और 5.00 लाख रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की और 3.00 लाख रुपये राज्य के वित्त मंत्री कोविड -19 फंड को दान किये। चित्र में - असम राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष डा. के. के. कालिता, गुवाहाटी में असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बनन्दा सोनोवाल को खादी मास्क भेंट करते दिखाई दे रहे हैं।

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, असम

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, असम, गुवाहाटी के तहत खादी संस्थाओं ने अपने खादी संस्थाओं/इकाईयों को संबद्ध किया और 3,850 खादी मास्क, 1,220 फूड पैकेट वितरित किए और कारीगर वेल्फेयर फण्ड ट्रस्ट के माध्यम से खादी कारीगरों को 2.04 लाख रुपये संवितरण की व्यवस्था की। चित्र में- सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए खादी संस्थाओं द्वारा आवश्यक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं के वितरण हेतु अभियान चलाया गया।

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अगरतला, त्रिपुरा

राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अगरतला, त्रिपुरा, से जुड़े एक एनजीओ सोसाइटी फॉर अल्टरनेटिव थिंकिंग एंड एक्शन ने 1,500/- रुपये का चेक केवीआईसी के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान स्वरुप प्रदान किया।

त्रिपुरा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड:

त्रिपुरा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 2,000 खादी मास्क वितरित किए। चित्र में माननीय मुख्यमंत्री, त्रिपुरा श्री बिप्लब कुमार देब को खादी मास्क भेट करते हुए त्रिपुरा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजीव भट्टाचार्य, इस अवसर पर त्रिपुरा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।

Khadi India

आपके अपने कारीगरों द्वारा ग्रामीण भारत में बनाए गए उत्तम गुणवत्ता के खादी वस्त्र और उत्पाद

गर्व से खरीदें

खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुएं एक नैसर्गिक उपहार है एवं प्रत्येक यादगार अवसर पर मार्क युक्त आकर्षक वस्त्र स्वस्थ्यवर्धक शहद , कुम्हारी, चर्म उत्पाद, प्रसाधन उत्पाद, अगरबत्ती की खरीद अपने आप में एक अनोखा अनुभव है,

अपने नजदीकी खादी इंडिया भवन में अवश्य पधारे |

अधिक जानकारी के लिए
संपर्क करें

प्रचार निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),मुंबई - 400056.

Download the Khadi India App from

kvicindia @kvicindia kvicindia www.kvic.org.in